



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 424]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 20, 2016/ज्येष्ठ 30, 1938

No. 424]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 20, 2016/JYAISTHA 30, 1938

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2016

**सा.का.नि. 612(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय डाक सेवा (समूह 'क') भर्ती नियम, 1987 का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, भारतीय डाक सेवा के समूह 'क' के पदों पर भर्ती की पद्धति तथा सेवा-शर्त का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—**

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय डाक सेवा (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2016 है।
- (2) ये, राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. परिभाषाएं:—**इन नियमों में, संदर्भ के अन्यथा अपेक्षित न हो :

- (क) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;
- (ख) "विभागीय प्रोन्नति समिति" – किसी भी ग्रेड में इससे ऐसी समिति से अभिप्रेत है जिसका गठन इन नियमों की अनुसूची 3 में उपदर्शित किसी भी ग्रेड में पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए किया गया हो;
- (ग) "विभागीय पुष्टिकरण समिति" – किसी भी ग्रेड से इससे ऐसी समिति से अभिप्रेत है जिसका गठन इन नियमों की अनुसूची 3 में उपदर्शित किसी भी ग्रेड में पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए किया गया हो;

- (घ) “विभागीय छान-बीन समिति” से ऐसी समिति से अभिप्रेत है जिसका गठन इन नियमों की अनुसूची 3 में उपदर्शित कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अकृत्यिक चयन ग्रेड) में नियोजन हेतु और अनुसूची 4 में यथाउपदर्शित अकृत्यिक उन्नयन प्रदान करने के लिए किया गया हो;
- (ङ.) “परीक्षा” से केंद्रीय सेवा के समूह ‘क’ पदों पर भर्ती के लिए आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा से अभिप्रेत है;
- (च) “ग्रेड” से अनुसूची। के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट ग्रेड अभिप्रेत है ;
- (छ) “नियमित सेवा” से किसी ग्रेड में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उस ग्रेड में चयन के उपरांत ग्रेड में की गई सेवा की अवधि से है, और जिसमें ऐसी अवधि अथवा अवधियों को भी शामिल किया गया है जिसमें इस नियमों की अधिसूचना के समय पहले से ही सेवारत व्यक्तियों की वरिष्ठता का आकलन करने के लिए ध्यान में रखा गया हो, जिसके दौरान किसी अधिकारी को उसके अवकाश पर जाने अथवा प्रशिक्षण अथवा विदेश में कार्य के कारण वह ग्रेड न मिला हो;
- (ज) “अनुसूचित जाति” और “अनुसूचित जनजाति” से अर्थ वही रहेगा जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रमशः खण्ड (24) और खण्ड (25) के अंतर्गत दिया गया है;
- (झ) “अन्य पिछड़े वर्ग” में सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित जाति और समुदाय सम्मिलित होंगे;
- (ट) “सेवा” से नियम 3 के अंतर्गत गठित भारतीय डाक सेवा अभिप्रेत है;
- (ठ) “अनुसूची” से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची से अभिप्रेत है।

**3. सेवा का गठन:—**(1) यह एक गठित सेवा होगी जिसे भारतीय डाक सेवा, समूह ‘क’ कहा जाएगा और इसमें नियम 6 और नियम 7 के अंतर्गत नियुक्त किए गए व्यक्ति शामिल होंगे।

(2) इस सेवा में सम्मिलित सभी पदों को समूह ‘क’ पदों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

(3) उप नियम 3(1) में यथा निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा की गई नियमित निरंतर सेवा की गणना, जिसे उन्होंने इन नियमों के आरंभ होने से पहले पूर्ण किया गया हो, ज्येष्ठता, पुष्टिकरण, प्रोन्नति, अकृत्यिक उन्नयन और पेंशन के प्रयोजन के लिए अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी।

**4. नियंत्रण प्राधिकारी:—**सेवा का नियंत्रण प्राधिकारी भारत सरकार, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डाक विभाग होगा।

**5. ग्रेड, कर्मचारियों की प्राधिकृत संख्या और इसकी पुनर्विलोकन:—**(1) इन नियमों के आरंभ होने की तारीख से सेवा के विभिन्न ग्रेडों के प्राधिकृत स्थायी कर्मचारियों की संख्या, प्रत्येक ग्रेड में पदों की संख्या तथा वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा उससे संबद्ध वेतनमान तथा वेतनमान, अनुसूची-। में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

(2) इन नियमों के आरंभ होने की तारीख पर तथा उसी तारीख से सेवा के विभिन्न ग्रेडों में प्राधिकृत स्थायी कर्मचारियों की संख्या, समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी और यह कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन होगी।

**6. सेवा के सदस्य:—**(1) इन नियमों के आरंभ होने की तारीख से इस सेवा में वे अधिकारी सम्मिलित होंगे जिन्हें अनुसूची-। में निर्दिष्ट विभिन्न ग्रेडों में भारतीय डाक सेवा, समूह ‘क’ में पहले ही नियमित आधार पर नियुक्त किया जा चुका है।

(2) इन नियमों के आरंभ होने के पश्चात किसी व्यक्ति को किसी भी ग्रेड में कर्तव्य पद दिए जाने पर वह ऐसी नियुक्ति की तारीख से तदनु रूप ग्रेड पर सेवा का सदस्य होगा।

**7. सेवा में नियुक्तियाँ:—**(1) सेवा के आरंभिक गठन के उपरांत किसी भी ग्रेड में रिक्तियों को आगे दी गई पद्धति के अनुसार भरा जाएगा।

(2) कनिष्ठ समयमान की पचास प्रतिशत (50%) रिक्तियों को सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए गए और अधिसूचित नियमों के अनुसार आयोग द्वारा संचालित सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा।

(3) कनिष्ठ समयमान की शेष पचास प्रतिशत (50%) रिक्तियों को अनुसूची-3 के तदनुसार गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर आयोग के साथ परामर्श करके अनुसूची-2 में निर्धारित उपाबंधों के अनुसार डाक सेवा, समूह 'ख' और ज्येष्ठ पोस्टमास्टर (9300-34800 रु. के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान और 4800 रु. ग्रेड वेतन) के पदों पर प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा।

(4) सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अकृत्यिक चयन ग्रेड) के सिवाए ज्येष्ठ समयमान और उससे ऊपर के पदों पर नियुक्ति, अनुसूची-2 के उपाबंधों के अनुसार, अनुसूची-3 के अनुसार गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर 'चयन' द्वारा किया जाएगा। कनिष्ठ समय वेतनमान (अकृत्यिक चयन ग्रेड) पर नियोजन ज्येष्ठता के आधार पर किया जाएगा जोकि अनुसूची-3 के तदनुसार गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसाओं के आधार पर उपयुक्तता के अध्यक्षीन होगा।

**8. परिवीक्षा:—**(1) नियम 7 के उप नियम (2) अथवा उप नियम (3) के अंतर्गत सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति द्वारा सेवा में नियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी:

परन्तु समय-समय पर सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार सरकार, परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकती है।

परन्तु यह और कि परिवीक्षा अवधि के विस्तार के लिए कोई भी निर्णय पिछली परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात साधारणतः आठ सप्ताह में लिया जाएगा और उक्त अवधि में ऐसा करने के कारणों के साथ संबंधित अधिकारी को लिखित रूप में संसूचित किया जाएगा।

(2) परिवीक्षा अथवा कोई भी विस्तार पूरा कर लेने पर, अधिकारी की स्थायी नियुक्ति के लिए ठीक समझे जाने पर, नियमित आधार पर उसकी नियुक्ति में प्रतिधारित की जाएगी और यथास्थिति उपलब्ध पर्याप्त रिक्ति के विरुद्ध बाद में उसे अभिपुष्ट किया जाएगा।

(3) यदि यथास्थिति किसी परिवीक्षा अथवा किसी भी विस्तार की अवधि के दौरान, सरकार की यह राय हो कि अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए ठीक नहीं है, तो सरकार सेवा से उन्मुक्त कर सकती है अथवा सेवा में उसकी नियुक्ति से पूर्व धारित पद पर अधिकारी को प्रतिवर्तित, यथास्थिति कर सकती है।

(4) किसी परिवीक्षा अथवा किसी विस्तार की अवधि के दौरान अभ्यर्थी को परिवीक्षा को अपेक्षित रूप से पूरा करने की शर्त के रूप में सरकार के प्रशिक्षण के ऐसे पाठ्यक्रम और अनुदेशों का अनुपालन करना होगा, तथा परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी (हिन्दी की परीक्षा सहित), जैसा सरकार ठीक समझे।

(5) परिवीक्षा से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में, अभ्यर्थी सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों अथवा अनुदेशों द्वारा शासित होंगे।

**9. ज्येष्ठता:—**(1) इन नियमों के प्रारम्भ पर इस सेवा के सदस्यों की संबंधित ज्येष्ठता इन नियमों के आरंभ होने की तारीख से पूर्व यथा-निर्धारित उनके संबंधित ग्रेडों में उनकी संबंधित ज्येष्ठता होगी:

परन्तु यदि इस सेवा के किसी सदस्य की ज्येष्ठता इन नियमों के आरंभ होने से पूर्व निर्धारित नहीं की गई हो, तो सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य अनुदेशों के अनुसार इसे अवधारित किया जाएगा।

(2) प्रारंभिक गठन के पश्चात इस सेवा में भर्ती किए गए व्यक्तियों की ज्येष्ठता को इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य अनुदेशों के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

(3) उपर्युक्त उपाबंधों में शामिल न किए गए अधिकारियों की ज्येष्ठता को आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा अवधारित किया जाएगा।

10. **अकृत्यिक उन्नयन:—**(1) जब कभी राज्य के संयुक्त संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की नियुक्ति केन्द्र में एक विशेष ग्रेड के लिए वेतन बैंड 3, वेतन बैंड 4 तथा 67000-79000 रु. के उच्च प्रशासनिक ग्रेड में विशेष ग्रेड वेतन के साथ की जाती है, तो इस सेवा के बैच से संबंधित अधिकारी जो कि दो वर्ष अथवा इससे अधिक ज्येष्ठ होते हैं तथा जिन्हें उस विशेष संवर्ग में अबतक प्रोन्नत नहीं किया गया है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के उन अधिकारियों को उस विशेष ग्रेड में केन्द्र में तैनाती की तारीख से अकृत्यिक आधार पर वही ग्रेड अथवा वेतनमान दिया जाएगा।

(2) विशेष ग्रेड वेतन में उन्नयन के लिए 'बेंचमार्क' सहित सभी निर्धारित पात्रता मानदंड तथा प्रोन्नति मानकों को उच्च वेतनमान प्रदान किए जाने के लिए छान-बीन के समय पूरा करना होगा।

(3) उपर्युक्त खण्ड (1) में वर्णित अकृत्यिक उन्नयन प्रदान किया जाना:

(i) केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार;

(ii) अनुसूची-4 में यथाविनिर्दिष्ट छान-बीन समिति की सिफारिशों के अनुसार।

11. **सेवा-शर्तें:—**(1) इस सेवा के लिए नियुक्त अधिकारी कहीं भी सेवा देने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसमें क्षेत्र सेवा तथा सेना डाक सेवा, भारत में अथवा भारत के बाहर शामिल है।

(2) ऐसे मामलों के संबंध में इस सेवा के उन अधिकारियों की सेवा शर्तें जिनके लिए इन नियमों के तहत कोई उपाबंध नहीं किया गया है; उनके लिए समय-समय पर लागू उपाबंध केन्द्रीय सिविल सेवा के अधिकारियों के अनुसार ही होंगे।

12. **निरर्हता:—**कोई व्यक्ति :

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिनका पति या जिनकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

इस सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

13. **शिथिल करने की शक्ति:—**जहां सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपाबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

14. **वयावृत्ति:—**इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों पूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपाबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची -I

#### [उप नियम - 6 (1) देखें]

#### ग्रेड, पदनाम, वेतनमान अथवा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन तथा प्राधिकृत संख्या

क्र. सं.	ग्रेड	पदनाम	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान	प्राधिकृत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	उच्च प्रशासनिक ग्रेड+	सदस्य, डाक सेवा बोर्ड	75,500-80,000 रु.	06

2.	उच्च प्रशासनिक ग्रेड	मुख्य पोस्टमास्टर जनरल अथवा मुख्य महाप्रबंधक अथवा वरिष्ठ उप महानिदेशक, निदेशक, रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी अथवा समतुल्य	67,000-79,000 रु.	26
3.	वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	पोस्टमास्टर जनरल अथवा उप महानिदेशक अथवा महाप्रबंधक अथवा अपर निदेशक, रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी अथवा समतुल्य	वेतन बैंड-4 37,400-67,000 रु. + 10,000 ग्रेड वेतन	73
4.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अकृत्यिक चयन ग्रेड)	निदेशक अथवा निदेशक डाक सेवा अथवा अपर महाप्रबंधक अथवा संयुक्त निदेशक अथवा समतुल्य	वेतन बैंड-4 37,400-67,000 रु. + 8,700 ग्रेड वेतन	वरिष्ठ कर्तव्य पदों का 30% (अर्थात् वरिष्ठ समय-मान में पद तथा इससे ऊपर), बशर्ते कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड सहित कुल संख्या कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड की प्राधिकृत संख्या से अधिक नहीं होगी।
5.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	निदेशक अथवा निदेशक, डाक सेवा अथवा अपर महाप्रबंधक अथवा संयुक्त निदेशक अथवा समतुल्य	वेतन बैंड-3 15,600-39,100 रु. + 7,600 रु. ग्रेड वेतन	105
6.	वरिष्ठ समय-मान	सहायक महानिदेशक अथवा उप महाप्रबंधक अथवा वरिष्ठ अधीक्षक, डाकघर अथवा वरिष्ठ अधीक्षक, रेल डाक सेवा अथवा सहायक पोस्टमास्टर जनरल अथवा मुख्य पोस्टमास्टर अथवा उप निदेशक अथवा समतुल्य	वेतन बैंड-3 15,600-39,100 रु. + 6,600 ग्रेड वेतन	179
7.	कनिष्ठ समय-मान	सहायक महानिदेशक अथवा उप महाप्रबंधक अथवा वरिष्ठ अधीक्षक, डाकघर अथवा वरिष्ठ अधीक्षक, रेल डाक सेवा अथवा सहायक पोस्टमास्टर जनरल अथवा मुख्य पोस्टमास्टर अथवा उप निदेशक अथवा समतुल्य	वेतन बैंड-3 15,600-39,100 रु. + 5,400 रु. ग्रेड वेतन	67
8.	आरक्षित			105
	<b>कुल</b>			<b>561</b>

**अनुसूची -2****[नियम - 7 देखें ]**

**भारतीय डाक सेवा के विभिन्न ग्रेडों में शामिल कर्तव्य पदों की प्रोन्नति पर अधिकारियों की नियुक्ति के लिए अगले निम्नतम ग्रेड में भर्ती की पद्धति, प्रोन्नति का क्षेत्र एवं न्यूनतम अर्हक सेवा**

क्र. सं.	ग्रेड	भर्ती की पद्धति	क्या चयनित पद या गैर-चयनित पद	प्रोन्नति के लिए चयन का क्षेत्र और न्यूनतम अर्हक सेवा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	उच्च प्रशासनिक ग्रेड+ (75,500 - 80,000/-रु.)	प्रोन्नति द्वारा	चयन	नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात की गई इस ग्रेड में 01 वर्ष की सेवा के साथ 67,000-79,000 के वेतनमान में उच्च प्रशासनिक ग्रेड में सेवा के अधिकारी।

2.	उच्च प्रशासनिक ग्रेड (67,000 – 79,000/-रु.)	प्रोन्नति द्वारा	चयन	नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् की गई इस ग्रेड में 03 वर्ष की सेवा के साथ वेतन-बैंड-4 में 10,000/-रु. के ग्रेड वेतन सहित 37,400-67,000/-रु. के वेतनमान में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में सेवा के अधिकारी अथवा इस सेवा में ग्रुप 'क' में 25 वर्ष की नियमित सेवा सहित जिसमें वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में कम से कम 01 वर्ष की सेवा होनी चाहिए, जिन्होंने न्यूनतम 02 सप्ताह का उच्चतर विकास कार्यक्रम अथवा विभागीय प्रतिष्ठापन अथवा निर्धारित सेवाकालीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।
3.	वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (ग्रेड वेतन 10,000/-रु. सहित वेतन बैंड- 4, 37,400-67,000/-रु.)	प्रोन्नति द्वारा	चयन	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड और अकृत्यिक चयन ग्रेड, यदि नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् की गई हो, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में 08 वर्ष की संयुक्त सेवा के साथ वेतन बैंड-3 में, 7,600/-रु. के ग्रेड वेतन के साथ 15,600-39,100/-रु. के वेतनमान में, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में सेवा के अधिकारी अथवा इस सेवा में ग्रुप 'क' पदों में 17 वर्ष की नियमित सेवा सहित जिसमें कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अकृत्यिक चयन ग्रेड) के साथ कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में कम से कम चार वर्ष की नियमित सेवा होनी चाहिए, जिन्होंने न्यूनतम दो सप्ताह का प्रबंधन विकास कार्यक्रम अथवा विभागीय प्रतिष्ठापन अथवा निर्धारित सेवाकालीन प्रशिक्षण पूरा किया हो।
4.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अकृत्यिक चयन ग्रेड) (ग्रेड वेतन 8,700/-रु. सहित वेतन बैंड-4, 37,400-67,000/-रु.)	उपलब्धता के अध्यधीन वरिष्ठता के आधार पर नियोजन द्वारा	-	वेतन बैंड-3 में, 7,600/-रु. के ग्रेड वेतन के साथ 15,600-39,100/-रु. के वेतनमान में कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में सेवा के अधिकारी जिन्होंने परीक्षा के अगले वर्ष से परिकलित वर्ष की 01 जनवरी को सेवा के 14 वर्ष पूरे कर लिए हों जिसके आधार पर सदस्य की सेवा की भर्ती की गई थी अथवा प्रोन्नति पर कनिष्ठ समय-मान की चयन सूची में शामिल वर्ष।
5.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (7,600 रु. के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3 15,600-39,100/-रु.)	प्रोन्नति द्वारा	चयन	नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् की गई इस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा के साथ वेतन बैंड-3 में 6,600/-रु. के ग्रेड वेतन सहित 15,600-39,100/-रु. के वेतनमान में वरिष्ठ समयमान में सेवा के अधिकारी जिन्होंने दो सप्ताह का कार्यपालक विकास कार्यक्रम अथवा विभागीय प्रतिष्ठापन अथवा निर्धारित सेवाकालीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।
6.	वरिष्ठ समयमान (ग्रेड वेतन 6,600/-रु. सहित वेतन बैंड-3, 15,600- 39,100/-रु.	प्रोन्नति द्वारा	चयन	नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् की गई इस ग्रेड में चार वर्ष की सेवा के साथ वेतन बैंड-3 में, 5,400/-रु. के ग्रेड वेतन सहित 15,600-39,100/-रु. के वेतनमान में कनिष्ठ समयमान में सेवा के अधिकारी जिन्होंने दो सप्ताह का विभागीय प्रतिष्ठापन अथवा विहित सेवाकालीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।
7.	कनिष्ठ समयमान (5,400/-रु. के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3, 15,600-39,100/-रु.)	(i) सीधीभर्ती द्वारा 50% (ii) प्रोन्नति द्वारा 50%	(i) चयन  (ii) चयन	(i) आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से  (ii) नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् की गई उन ग्रेडों में दो वर्ष की सेवा के साथ वेतन बैंड-2 में, 4,800/-रु. के ग्रेड वेतन सहित 9,300-34,800/-रु. के वेतनमान में डाक सेवा, ग्रुप 'ख' और वरिष्ठ पोस्टमास्टर ग्रेड की अधिकारी, जिन्होंने न्यूनतम दो सप्ताह का विभागीय प्रतिष्ठापन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

- टिप्पण 1:** विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति के लिए अधिकारियों की पात्रता अवधारित करने के लिए इन सभी ग्रेडों में निर्णायक तारीख सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार होगी।
- टिप्पण 2:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
- टिप्पण 3:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

### अनुसूची -3

[उप नियम 7(3) और (4) देखें]

### भारतीय डाक सेवा के समूह 'क' के अधिकारियों की प्रोन्नति और पुष्टि करने संबंधी मामलों के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति और विभागीय पुष्टिकरण समिति की संरचना

क्र. सं.	ग्रेड	ग्रुप 'क' विभागीय प्रोन्नति /छान-बीन समिति (प्रोन्नति हेतु विचार करने के लिए)	ग्रुप 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण हेतु विचार करने के लिए)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	उच्च प्रशासनिक ग्रेड+	1. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य – अध्यक्ष 2. सचिव (डाक) – सदस्य 3. सचिव (दूर संचार विभाग) – सदस्य	लागू नहीं होता
2.	उच्च प्रशासनिक ग्रेड	1. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य – अध्यक्ष 2. सचिव (डाक) – सदस्य 3. सदस्य (कार्मिक) – सदस्य डाक सेवा बोर्ड	लागू नहीं होता
3.	वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	1. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य – अध्यक्ष 2. सचिव (डाक) – सदस्य 3. सदस्य (कार्मिक) – सदस्य डाक सेवा बोर्ड	लागू नहीं होता
4.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अकृत्यिक चयन ग्रेड)	1. सचिव (डाक) –अध्यक्ष 2. सदस्य (कार्मिक) – सदस्य डाक सेवा बोर्ड 3. उपमहानिदेशक (कार्मिक) – सदस्य 4. संयुक्त सचिव (एस. एण्ड वी) – सदस्य कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	लागू नहीं होता
5.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	1. संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य – अध्यक्ष 2. सदस्य (कार्मिक) – सदस्य	लागू नहीं होता

		डाक सेवा बोर्ड 3. सदस्य (प्रचालन), डाक सेवा बोर्ड	- सदस्य	
6.	वरिष्ठ समय-मान	1. सदस्य (कार्मिक) डाक सेवा बोर्ड 2. उप महानिदेशक (प्रचालन) 3. उप महानिदेशक (स्थापना)	- अध्यक्ष - सदस्य - सदस्य	लागू नहीं होता
7.	कनिष्ठ समय-मान	1. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य 2. सदस्य (कार्मिक) डाक सेवा बोर्ड 3. उप महानिदेशक (स्थापना)	- अध्यक्ष - सदस्य - सदस्य	1. सदस्य (कार्मिक)- अध्यक्ष डाक सेवा बोर्ड 2. सदस्य (प्रचालन)- सदस्य डाक सेवा बोर्ड 3. उप महानिदेशक (स्थापना) - सदस्य

#### अनुसूची - 4

[उप नियम 10(3) (ii) देखें]

भारतीय डाक सेवा, ग्रुप 'क' के अधिकारियों के अकृत्यिक उन्नयन के विचार के लिए विभागीय छान-बीन समिति की संरचना

क्र. सं. (1)	ग्रेड (2)	एन.एफ.यू. के लिए छान-बीन समिति (3)
1.	उच्च प्रशासनिक ग्रेड	1. सचिव (डाक) - अध्यक्ष 2. सदस्य (कार्मिक), डाक सेवा बोर्ड - सदस्य 3. सदस्य (प्रचालन), डाक सेवा बोर्ड - सदस्य
2.	वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	1. सचिव (डाक) - अध्यक्ष 2. सदस्य (कार्मिक), डाक सेवा बोर्ड - सदस्य 3. सदस्य (प्रचालन), डाक सेवा बोर्ड - सदस्य
3.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एन.एफ.एस.जी.)	1. सचिव (डाक) - अध्यक्ष 2. सदस्य (कार्मिक), डाक सेवा बोर्ड - सदस्य 3. उप महानिदेशक (कार्मिक), - सदस्य
4.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	1. सचिव (डाक) - अध्यक्ष 2. सदस्य (कार्मिक), डाक सेवा बोर्ड - सदस्य 3. उप महानिदेशक (कार्मिक), - सदस्य
5.	वरिष्ठ समय-मान	1. सचिव (डाक) - अध्यक्ष 2. सदस्य (कार्मिक), डाक सेवा बोर्ड - सदस्य 3. उप महानिदेशक (कार्मिक), - सदस्य

[फा. सं. 4-10/2013-एसपीजी]

राज कुमार, निदेशक



**MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY**

**(Department Of Posts)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th June, 2016

**G.S.R. 612(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indian Postal Service (Group 'A') Rules, 1987, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment and the condition of service to Group 'A' post of Indian Postal Service, namely:

**1. Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the **Indian Postal Service (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2016**.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires:-

- (a) "*Commission*" means the Union Public Service Commission;
- (b) "*Departmental Promotion Committee*" in relation to any grade, means a Committee constituted to consider promotion in any grade as indicated in Schedule III to these rules;
- (c) "*Departmental Confirmation Committee*" in relation to any grade, means a Committee constituted to consider confirmation in any grade as indicated in Schedule III to these rules;
- (d) "*Departmental Screening Committee*" means a Committee constituted to consider placement in Junior Administrative Grade (Non-functional Selection Grade) as indicated in Schedule III and grant of Non-Functional Up-gradation as indicated in Schedule IV to these rules;
- (e) "*Examination*" means the Civil Services Examination held by the Commission for recruitment to Central Services Group 'A';
- (f) "*Government*" means the Government of India;
- (g) "*Grade*" means a grade specified in column (2) of Schedule I;
- (h) "*Regular Service*" in relation to any grade means the period of service in the grade rendered after selection to that grade according to the prescribed procedure, and includes any period or periods taken into account for purposes of seniority in the case of those already in service at the time of notification of these rules, during which an officer would have held that grade but for his being on leave or on training or on foreign assignment;
- (i) "*Scheduled Castes*" and "*Scheduled Tribes*" shall have the same meanings as are assigned to them under clauses (24) and (25) respectively of article 366 of the Constitution of India;
- (j) "*Other Backward Classes*" shall comprise the castes and communities notified by the Government from time to time.
- (k) "*Service*" means the Indian Postal Service, constituted under rule 3.
- (l) "*Schedule*" means the schedule annexed to these rules.

**3. Constitution of Service.-** (1) There shall be a constituted Service known as Indian Postal Service, Group 'A' consisting of persons appointed to the service under rule 6 and 7.

(2) All the posts included in the service shall be classified as Group 'A' posts.

(3) The regular continuous service by the officers, as referred to in sub-rule 3(1) in the respective corresponding Grades, rendered prior to commencement of these rules shall be counted as qualifying service for the purpose of seniority, confirmation, promotion, non-functional up-gradation and pension.

**4. Controlling authority.-** The Government of India, Ministry of Communications and Information Technology, Department of Posts shall be the Controlling authority of the Service.

**5. Grades, authorised strength and its review.-** (1) The authorised permanent strength of various Grades of the Service on the date of commencement of these rules, the number of posts in each Grade and the Pay Band and Grade Pay or Pay Scale attached thereto and the Scales of Pay shall be as specified in Schedule-I.

(2) On and from the date of commencement of these rules, the authorised permanent strength of various Grades of the Service shall be as may be determined by the Central Government from time to time subject to variation depending on workload.

**6. Members of Service.-** (1) The service, shall on the date of commencement of these Rules, consist of officers who have already been appointed to the Indian Postal Service, Group 'A' in the various grades specified in Schedule-I on a regular basis.

(2) A person appointed to any duty post in any grade after the commencement of these Rules shall be a member of the Service in the corresponding grade, from the date of such appointment.

**7. Appointments to the Service.-** (1) After initial constitution of the Service, the vacancies in any of the grades shall be filled in the manner as hereinafter provided.

(2) Fifty per cent (50%) of the vacancies of Junior Time Scale shall be filled by direct recruitment on the basis of Civil Services Examination conducted by the Commission in accordance with Rules framed and notified by the Government from time to time.

(3) Remaining fifty per cent (50%) of the vacancies in the Junior Time Scale shall be filled by promotion of Postal Service, Group 'B' and Senior Postmaster (Pay Band and Grade Pay or Pay Scale of Rs. 9300-34800 plus Grade Pay Rs. 4800), in accordance with the provisions specified in Schedule-II in consultation with the Commission on the basis of the recommendations of the Departmental Promotion Committee constituted in accordance with Schedule-III.

(4) Appointments in the Service to the posts of Senior Time Scale and above except to the Junior Administrative Grade (Non-functional Selection Grade) shall be made in accordance with the provisions of Schedule II, by 'selection' on the basis of the recommendations of the Departmental Promotion Committee constituted in accordance with Schedule-III. Placement to the Junior Administrative Grade (Non-functional Selection Grade) shall be made on the basis of seniority subject to suitability on the basis of the recommendations of the Departmental Promotion Committee constituted in accordance with Schedule-III.

**8. Probation.-** (1) Candidates appointed to the Service either by direct recruitment or by promotion under sub rule (2) or (3) of rule 7 shall be on probation for a period of two years:

Provided that the controlling officer may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government from time to time.

Provided further that any decision for extension of the probation period shall be taken ordinarily within eight weeks after the expiry of the previous probationary period and communicated in writing to the officer concerned together with the reasons for so doing within the said period.

(2) On completion of the probation or any extension thereof, officer shall, if, considered fit, for permanent appointment, be retained in his appointment on regular basis and be confirmed in due course against the available substantive vacancy, as the case may be.

(3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, Government may discharge or revert the officer to the post held by him prior to his appointment in the service, as the case may be.

(4) During the period of probation or any extension thereof, candidate may be required by the Government to undergo such courses of training and instructions and to pass examination and tests (including examination in Hindi) as the Government may deem fit, as a condition to satisfactory completion of the probation.

(5) As regards other matters relating to probation, the candidates shall be governed by the orders or instructions issued by the Government from time to time in this regard.

**9. Seniority.-** (1) The relative seniority of the Members of the Service on commencement of these Rules shall be the relative seniority in their respective grades as determined before the date of commencement of these Rules:

Provided that if the seniority of any Member of the Service has not been determined before the commencement of these Rules, it shall be determined by the Government in accordance with the general instructions issued by the Government from time to time.

(2) The seniority of the persons recruited to the Service after the initial constitution shall be determined in accordance with the general instructions issued by the Government from time to time in this regard.

(3) Seniority of officers not covered by the above provisions shall be determined by the Government in consultation with the Commission.

**10. Non-Functional Up-gradation.-** (1) Whenever an Indian Administrative Service Officer of the State of Joint Cadre is posted at the Centre to a particular grade carrying a specific grade pay in pay band 3, pay band 4 and Higher Administrative Grade scale of Rs. 67000-79000, the officers belong to batches of the Service that are senior by two years or more and have not so far been promoted to that particular grade, shall be granted the same grade or pay scale on non-functional basis from the date of posting of the Indian Administrative Service Officers in that particular grade at the Centre.

(2) All the prescribed eligibility criteria and promotional norms including 'benchmark' for up-gradation to a particular grade pay shall have to be fulfilled at the time of screening for grant of higher pay-scale.

(3) Grant of Non-functional Up-gradation referred to in clause (1) above shall be:

- (i) in accordance with the guidelines issued by the Central Government from time to time;
- (ii) made on the recommendations of the screening committee as specified in Schedule-IV.

**11. Conditions of Service.-** (1) An officer appointed to the Service shall be liable to serve anywhere, including field service and in the Army Postal Service, in or outside of India.

(2) The conditions of service of the officer of the Service in respect of matters for which no provision has been made under these rules, shall be the same as are applicable to the officers of Central Civil Services from time to time.

**12. Disqualification.-** No person, -

- (a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the service:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**13. Power to relax.-** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**14. Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE - I**

[See Sub Rule 6 (1)]

**Grades, Designations, Pay Scales or Pay Band and Grade Pay and Authorized Strength**

Sl. No.	Grade	Designation	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Authorized Strength
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Higher Administrative Grade +	Member, Postal Services Board	Rs. 75,500 - 80,000	06
2	Higher Administrative Grade	Chief Postmaster General or Chief General Manager or Senior Deputy Director General, Director, Rafi Ahmed Kidwai National Postal Academy or equivalent.	Rs. 67,000 - 79,000	26
3	Senior Administrative Grade	Postmaster General or Deputy Director General or General Manager or Additional Director, Rafi Ahmed Kidwai National Postal Academy or equivalent.	Pay Band-4 Rs. 37,400 - 67,000 plus Grade Pay of Rs. 10,000.	73
4	Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade)	Director or Director Postal Services or Additional General Manager or Joint Director or equivalent.	Pay Band-4 Rs. 37,400 - 67,000 plus Grade Pay of Rs. 8,700.	30% of senior duty posts (i.e. posts in Senior Time Scale and above), provided the total strength including that in Junior Administrative Grade shall not exceed the authorized strength of Junior Administrative Grade.
5	Junior Administrative Grade	Director or Director Postal Services or Additional General Manager or Joint Director or equivalent.	Pay Band-3 Rs. 15,600 - 39,100 plus Grade Pay of Rs. 7,600.	105
6	Senior Time Scale	Assistant Director General or Deputy General Manager or Senior Superintendent of Post Offices or Senior Superintendent of Railway Mail Service or Assistant Postmaster General or Chief Postmaster or Deputy Director or equivalent.	Pay Band-3 Rs. 15,600 - 39,100 plus Grade Pay of Rs. 6,600.	179
7	Junior Time Scale	Assistant Director General or Deputy General Manager or Senior Superintendent of Post Offices or Senior Superintendent of Railway Mail Service or Assistant Postmaster General or Chief Postmaster or Deputy Director or equivalent.	Pay Band-3 Rs. 15,600 - 39,100 plus Grade Pay of Rs. 5,400.	67
8	Reserve			105
	<b>Total</b>			<b>561</b>

**SCHEDULE - II**

[See Rule 7]

**Method of Recruitment, field of Promotion and Minimum Qualifying Service in the next lower grade for appointment of officers on promotion to duty posts included in the various grades of the Indian Postal Service.**

Sl. No.	Grade	Method of Recruitment	Whether selection or non-selection post	Field of selection and the minimum qualifying service for promotion
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Higher Administrative Grade+ (Rs. 75,500 -80,000)	By promotion	Selection	Officers of the Service in Higher Administrative Grade, in the scale of pay of Rs. 67,000-79,000 with one year's service in the grade, rendered after appointment thereto on regular basis.
2.	Higher Administrative Grade (Rs. 67,000 - 79,000)	By promotion	Selection	Officers of the Service in Senior Administrative Grade in the scale of pay of Rs. 37,400-67,000 with Grade Pay Rs. 10,000 in the Pay Band-4, with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis or with twenty five years' regular service in Group 'A' posts in the service out of which at least one year's regular service should be in Senior Administrative Grade, who have successfully completed minimum two weeks' Advanced Development Programme or Departmental Induction or prescribed in-service Training.
3.	Senior Administrative Grade (Pay Band-4, Rs. 37,400 - 67,000 plus Grade Pay Rs. 10,000)	By promotion	Selection	Officers of the Service in the Junior Administrative Grade, in the scale of pay of Rs. 15,600-39,100 with grade pay of Rs. 7,600, in Pay Band-3, with eight years combined service in Junior Administrative Grade and Non-Functional Selection Grade, if any, rendered after appointment thereto on regular basis, or with seventeen years' regular service in Group 'A' posts in the service out of which at least four years' regular service should be in Junior Administrative Grade including Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade), who have successfully completed minimum two weeks' Management Development Programme or Departmental Induction or prescribed in - service Training.
4.	Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade) (Pay Band-4, Rs. 37,400 - 67,000 plus Grade Pay Rs. 8,700)	By placement on the basis of seniority subject to suitability	-	Officers of the Service in the Junior Administrative Grade in the scale of pay of Rs. 15,600 - 39,100 with grade pay Rs. 7,600, in Pay Band-3 who have entered the 14 <sup>th</sup> year of the service on the 1 <sup>st</sup> January of the year calculated from the year following the year of examination on the basis of which the member of the Service was recruited or year of inclusion in the select list of Junior Time Scale on promotion.
5.	Junior Administrative Grade	By promotion.	Selection	Officers of the Service in the Senior Time Scale, in the scale of pay of Rs. 15,600-39,100 with grade pay of Rs. 6,600 in Pay Band-3, with five

	(Pay Band-3, Rs. 15,600 - 39,100 plus Grade Pay Rs. 7,600)			years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis, who have successfully completed minimum two weeks' Executive Development Programme or Departmental Induction or prescribed in-service training.
6.	Senior Time Scale (Pay Band-3, Rs. 15,600 - 39,100 plus Grade Pay Rs. 6,600)	By promotion	Selection	Officers of the Service in the Junior Time Scale, in the scale of pay of Rs. 15,600 - 39,100 with grade pay of Rs. 5,400 in Pay Band-3, with four years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis, who have successfully completed minimum two weeks' Departmental Induction or prescribed in - service Training.
7.	Junior Time Scale (Pay Band-3, Rs. 15,600 - 39,100 plus Grade Pay Rs. 5,400)	(i) 50% by Direct Recruitment  (ii) 50% by promotion	(i) Selection  (ii) Selection	(i) Through Civil Services Examination conducted by the Commission.  (ii) Officers of Postal Service, Group 'B' and Senior Postmaster Grade in the scale of pay of Rs. 9,300 – 34,800 with grade pay Rs. 4,800 in Pay Band- 2 with two years' service in those grades rendered after appointment thereto on regular basis, who have successfully completed minimum two weeks' Departmental Induction Training.

**Note 1:** In all the grades, the crucial date for determining the eligibility of the officers for promotion to various grades shall be as per the instructions issued by the Government from time to time.

**Note 2:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Note 3:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

### SCHEDULE - III

[See Sub Rule 7 (3) and (4)]

#### Composition of Departmental Promotion Committee and Departmental Confirmation Committee for considering cases of promotions and confirmation of Group 'A' officers of Indian Postal Service.

Sl. No.	Grade	Group 'A' Departmental Promotion/ Screening Committee (for considering promotion)	Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Higher Administrative Grade+	Chairman or Member, Union Public Service Commission Secretary (Posts)	Not applicable
		<i>-Chairperson</i> <i>-Member</i>	

		Secretary (DOT)	<i>-Member</i>	
2.	Higher Administrative Grade	Chairman or Member, Union Public Service Commission Secretary (Posts) Member (Personnel), Postal Services Board	<i>-Chairperson</i> <i>-Member</i> <i>-Member</i>	Not applicable
3.	Senior Administrative Grade	Chairman or Member, Union Public Service Commission Secretary (Posts) Member (Personnel), Postal Services Board	<i>-Chairperson</i> <i>-Member</i> <i>-Member</i>	Not applicable
4.	Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade)	Secretary (Posts) Member (Personnel), Postal Services Board Deputy Director General (Personnel) Joint Secretary (S&V), Department of Personnel and Training	<i>-Chairperson</i> <i>-Member</i> <i>-Member</i> <i>-Member</i>	Not applicable
5.	Junior Administrative Grade	Chairman or Member, Union Public Service Commission Member (Personnel), Postal Services Board Member (Operations), Postal Services Board	<i>-Chairperson</i> <i>-Member</i> <i>-Member</i>	Not applicable
6.	Senior Time Scale	Member (Personnel), Postal Services Board Deputy Director General (Operations) Deputy Director General (Establishment)	<i>- Chairperson</i> <i>- Member</i> <i>- Member</i>	Not applicable
7.	Junior Time Scale	Chairman or Member, Union Public Service Commission Member (Personnel), Postal Services Board Member (Establishment), Postal Services Board	<i>- Chairperson</i> <i>-Member</i> <i>-Member</i>	Member (Personnel), Postal Services Board <i>-Chairperson</i> Deputy Director General (Operations)- <i>Member</i> Deputy Director General (Establishment)- <i>Member</i>

**SCHEDULE - IV**

[See Sub Rule 10 (3) (ii)]

**Composition of Departmental Screening Committee for considering grant of Non-Functional Up-gradation to the officers of Indian Postal Service, Group 'A'**

Sl. No.	Grade	Screening Committee for NFU
(1)	(2)	(3)
1.	Higher Administrative Grade	Secretary (Posts) - <i>Chairperson</i>

		Member (Personnel), Postal Services Board	-	<i>Member</i>
		Member (Operations), Postal Services Board	-	<i>Member</i>
2.	Senior Administrative Grade	Secretary (Posts)	-	<i>Chairperson</i>
		Member (Personnel), Postal Services Board	-	<i>Member</i>
		Member (Operations), Postal Services Board	-	<i>Member</i>
3.	Junior Administrative Grade (NFSG)	Secretary (Posts)	-	<i>Chairperson</i>
		Member (Personnel), Postal Services Board	-	<i>Member</i>
		Deputy Director General (Personnel)	-	<i>Member</i>
4.	Junior Administrative Grade	Secretary (Posts)	-	<i>Chairperson</i>
		Member (Personnel), Postal Services Board	-	<i>Member</i>
		Deputy Director General (Personnel)	-	<i>Member</i>
5.	Senior Time Scale	Secretary (Posts)	-	<i>Chairperson</i>
		Member (Personnel), Postal Services Board	-	<i>Member</i>
		Deputy Director General (Personnel)	-	<i>Member</i>

[F. No. 4-10/2013-SPG]

RAJ KUMAR, Director